न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 99/2017 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री सांवरलाल पिता घीसूलाल गुर्जर निवासी कांवलास तहसील आसीन्द	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा
—अपीलार्थी		—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 13/11/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 02.11..2017 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 683541 राशि 10.00 रू0 का दिनांक 25.09.2017 को एक आवेदन प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 25/09/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 07/11/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/सू0अ0/2017/2649 दिनांक 13.11.2017 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाते हुए अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के समक्ष आवेदन दिनांक 25.09..2017 को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके पत्रांक/सू0अ0/2017/2539 दिनांक 08.11.2017 से अपीलार्थी को सूचित किया गया कि वांछित सूचना उनके कार्यालय में संधारित नही की जाती है जिसकी प्रति अपने पत्रांक 2649 दिनांक 13.11.2017 के साथ संलग्न कर भिजवाई है। अपीलार्थी को सूचना विलम्ब से निःशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा के द्वारा अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 25.09.2017 में अंकित सूचना 24.10.2017 तक उपलब्ध कराई जानी थी परन्तु जो भी सूचना पत्र सूचना संधारित नहीं होने का भिजवाया वह विलम्ब से भिजवाया गया। अपीलार्थी को दूरभाष पर उक्त अपील की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी चाही जाने पर अपीलार्थी ने उक्त सूचना पत्र भी नहीं मिलना जाहिर किया परन्तु दूरभाष पर सूचित होने के बावजूद भी उपस्थित होकर कोई आपत्ति लिखित या मौखिक प्रस्तुत नहीं की है बल्कि निवेदन किया कि जो सूचना पत्र आपके न्यायालय में प्रस्तुत किया उसे जरिये डाक भिजवाना फरमावें। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी सूचना से सन्तुष्ट है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी,भीलवाड़ा को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 13/11/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

जिला कलेक्टर (राज.)

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा